संख्या-11 /2018/596/29-5-2018-5(14)/02

प्रेषक,

अभिषेक सिंह-।। ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 21 जून,2018

विषय:-रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय हेतु क्रय संस्थाओं को ऋण/अग्रिम की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ले0शा0/349/128/खा0-1/रबी खरीद 2018-19, दिनांक 24 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-03/2018/255/29-5-2018-5(14)/02, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 द्वारा रबी खरीद वर्ष 2018-19 में रबी खाद्यान्न (गेहूँ) की खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेन्सियों को कुल रू0 2375,00,00,000.00(रूपये तेइस अरब पच्चहत्तर करोड़) मात्र ऋण/अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसमें से उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) को रू0 2000 करोड़ ऋण/अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 06-04-2018 के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2018-19 में रबी खाद्यान्न (गेहूँ) की खरीद हेतु उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) को पूर्व में स्वीकृत रू0 2000 करोड़ के ऋण/अग्रिम के अतिरिक्त रू0 600.00 करोड़ (रू0 छः सौ करोड़ मात्र) के ऋण/अग्रिम निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ब्याज द्वारा अर्जित धनराशि का समायोजन संबंधित संस्था को दी जाने वाली धनराशि से आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कर लिया जायेगा। आँकडों की गणना/ शुद्वता का दायित्व भी आयुक्त, खाद्य एव रसद विभाग का होगा।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासनादेश संख्या-03/2018/255/29-5-2018-5(14)/02, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्धों का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशासकीय संख्या-ई-7-559 /दस/2018 दिनांक 18 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक सिंह-।।)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2018/596(1)/29-5-2018-5(14)/02 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।

3- महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।